प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 13/09/2026

थाना ज्ञानपुर पुलिस द्वारा कोर्ट के फर्जी दस्तावेज व कूटरचित जमानत प्रपत्र तैयार करने वाले गिरोह में शामिल अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना ऊंज, जनपद भदोही में मु0अ0सं0 54/24 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, 207 एमवी एक्ट व 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। इस मामले में अभियुक्तों व उनके अधिवक्ताओं द्वारा अदालत से जमानत पाने के उद्देश्य से थाना ज्ञानपुर, थाना सुरियावां और थाना गोपीगंज के थानाध्यक्षों/प्रभारियों के फर्जी नाम, हस्ताक्षर और पुलिस की फर्जी मोहर का इस्तेमाल कर कूटरचित (फर्जी) जमानत सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसी गम्भीर जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इस गिरोह में शामिल अन्य मुख्य अभियुक्त मो0 शिवान इराकी, आशुतोष कुमार झा एवं इनके फर्जी जमानतदार व अज्ञात अधिवक्तागण हैं, जिनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13/09/2026 को थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर इस धोखाधड़ी व गैंगस्टर मामले से जुड़े अभियुक्त ओमप्रकाश मिश्रा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र स्व0 काशीराम मिश्रा, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी- छ्तमा, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह पुलिस और कोर्ट की आँखों में धूल झोंकने के लिए थानों की फर्जी मोहरें और अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर बनाकर कोर्ट में फर्जी जमानत सत्यापन प्रपत्र दाखिल करने वाले इस संगठित गिरोह का हिस्सा रहा है। वह

गैंगस्टर एक्ट व जालसाजी के इस मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री भारत भूषण, हे0का0 पीर मोहम्मद, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही। का0 राहुल कुमार, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही एवं हो0गा0 राजेश यादव, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।